तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की जारी हुआ
23/5/26	पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र श्रीमान जमाल सिंह [illegible] स्थापित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम के तहत होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—13 / 19 तारीख रजु:—3.7.19

उनवान

प्रकाशचंद पुत्र स्व0 सुआलाल उम्र 72 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

—सायल

बनाम

1. बृजेन्द्र शर्मा उम्र 45 साल
2. नीतिन शर्मा उम्र 40 साल
   पुत्रान पुरूषोत्तम शर्मा निवासी हटवाडा करौली
3. मनु शर्मा पुत्र बृजेन्द्र शर्मा उम्र 21 साल निवासी हटवाडा करौली(राज0)
4. तहसीलदार, लैण्ड होल्डर करौली

—गैरसायल

दर0 ब्रीच अन्तर्गत आदेश ऑर्डर 39 नियम 2—ए सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

—::निर्णय::— दिनांक:— 23/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी दावा मय दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा सायल प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमानजी मे पेश किया गया था जिमसें दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय श्रीमानजी द्वारा दिनांक 23.04.2019 को इस आशय को गैरसायलान को पाबंद किया की वह प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी 5393, 5394, कुल किता 2 कुल रकवा 1 वीघा 12 विस्वा वाके स्थित कस्बा करौली हाथीघटा पर आगामी तारीख पेशी 30.04.2019 तक दोनों पक्षकार मौके पर कोई निर्माण कार्य नही करें। उक्त आदेश से पाबंद होने के बाद एवं उक्त आदेश की जानकारी गैरसायलान को हो जाने के बाद भी गैरसायलान द्वारा जानबूझकर न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 28.06.2019 को गैरसायलान द्वारा प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 5393, 5394 में पूर्व से खोदे गये 25 बाई 60 फुट के गढढे में आरसीसी के पिलर गाडने हेतु गढढे

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खोदने के लिए मजदूरों के साथ आये और मौके पर खुदाई का कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही प्रार्थी को जानकारी मिली, तो प्रार्थी अपने पुत्र कुलदीप के साथ अपनी आराजी पर गया और वहां मजदूरों से काम को रोकने के लिए कहा और उनसे कहा कि इस जमीन पर स्टे है, तुम यहां काम मत करो, तो मौजूद मजदूरों ने कहा कि हमे तो कुछ नही पता हमे तो वकील साहब नितिन शर्मा ने काम करने के लिए रखा है, आपको कोई बात करनी है तो उनसे बात करो, तो प्रार्थी के पुत्र ने कचहरी जाकर गैरसायल नितिन शर्मा से बात करनी चाही तो उन्होने बडी बेरूखी से कहा कि ऐरो स्टे तो हम रोज करवाते है और हटवाते भी है, तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मै तो निर्माण कराऊंगा ही, प्रार्थी के पुत्र ने जब यह कहा कि आप लोग स्टे से पाबंद हो तो काम कराकर क्यो बेजा मुकदमेबाजी बढा रहे हो, तो गैरसायल एकदम नाराज हो गया और धमकी दी कि तुमसे जो बने वो करो, कोई हमारा कुछ नही कर सकता, पुलिस और कोर्ट को मै सब देख लूंगा। दिनांक 23.04.19 को जारी सगिन आदेश आज भी प्रभावी है और प्रकरण के सभी पक्षकारान पर लागू है और जिसकी जानकारी भी सभी पक्षकारान को है। गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है एवं उनके द्वारा जानबूझकर न्यायालय आदेश दिनांक 23.04.19 की अवहेलना की गई जो अनवरत चालू है और इस समय भी मौके पर दिनांक 28.06.19 को खोदे गए गढ्डो में आरसीसी के पिलर गाढने के लिए सरियों पर जाल लगाकर सीमेंट भराई का कार्य प्रार्थी की आराजी पर चालू है। दिनांक 30.06.19 को भी प्रार्थी द्वारा काम को रोकने की कोशिश की गई तो गैरसायलान झगडा करने पर आमादा हो गये। प्रमाण में मौके पर किये जा रहे निर्माण कार्य के फोटोग्राफ दर0 के साथ पेश है। जो गैरसायलान द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना के दोषी है और तीन माह के सिविल कारागार से सजायाब किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी मौके की पूर्व स्थिति कायम कराने का अधिकारी है एवं गैरसायलान द्वारा प्रार्थी की आराजी को पहुंचाए गए नुकसान की एवज में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकारी हैं। सिविल कारागार हेतु प्रार्थी खर्चा अदा करने को तैयार है। पक्षकारान एवं प्रकरण श्रीमानजी के अधिकारी क्षेत्र में होने के कारण श्रीमानजी को सुनवाई के पूर्ण अधिकारी हासिल हैं। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद उचित न्याय शुल्क........ रू. पर पेश है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

2/11

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र कर कथन किया है कि प्रार्थी को खरीदशुदा भूखण्ड खसरा नंबर 5393, 5394 में स्थित नही है क्यों कि दावा में प्रार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत जवाबदावा में सायल द्वारा अपनी भूमि खसरा नंबर 5393, 5394 की एस0डी0ओ0 साहब व तहसीलदार करौली के आदेश से पुलिस सहायता के जरिये पक्की बाउण्ड्री दीवाल करीब 10–12 पूर्व करवाई जा चुकी है। उससे संबंधित दस्तावेज व सेटिलमेंट टीम की संयुक्त सर्वे सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का भूखण्ड अपनी खरीद भूमि खसरा नंबर 5395 लगायत 5397 में स्थित होना साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा कोई न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया जाना असंभव व गलत है। इस आधार पर बगैर दस्तावेजी आधार पर दर0 ब्रीच खारिज होने योग्य है। प्रार्थी विपक्षी द्वारा सायल की भूमि को कोई नुकसान पहुंचाये जाना गलत है स्वीकार नही है क्योंकि प्रार्थी विपक्षी का भूखण्ड मुताबिक सीमांकन संयुक्त सर्वे टीम द्वारा खसरा नंबर 5393 व 5394 मे होना नही पाया गया है। इसलिए प्रार्थी कोई कानून की अवहेलना नही की गई है और ना ही साबित है ना हल सायल को कोई क्षति हुई है। जबकि सही बात यह है कि सायल बार–बार सीमा विवाद पैदा करने का आदी है और प्रार्थी विपक्षी को अकारण परेशान करने पर आमादा है। इस मद में दर्ज दिनांकों पर प्रार्थी–विपक्षी द्वारा कोई भी निर्माण नही किया है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सायल ने अपनी साक्ष्य में स्वंय प्रकाशचंद एडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में न्यायालय आदेशिका बाबत अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 23.04.19 मु.नं. 12/19 प्रदर्श–1 पेश कर प्रदर्शित कराया है। न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए गैरसायलान द्वारा मौके पर कराये गये निर्माण कार्य को दर्शित करने वाले 8 किता फोटो दिनांक सहित पेश है। गवाह कुलदीप एडब्ल्यू–2 के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सवूत में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। साक्ष्य सायल समाप्त कर बंद की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

गैरसायल ने अपनी साक्ष्य में नितिन शर्मा डीडब्ल्यू–1 के बयान एनएडब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्ध कराये है एवं अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। गैरसायल साक्ष्य बंद की गई।

बहस वकील सायल व गैरसायल सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का बहस में कथन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय श्रीमानजी द्वारा दिनांक 23.04.2019 को इस आशय को गैरसायलान को पाबंद किया की वह प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी 5393, 5394, कुल किता 2 कुल रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके स्थित करबा करौली हाथीघटा पर आगामी तारीख पेशी 30.04.2019 तक दोनों पक्षकार मौके पर कोई निर्माण कार्य नही करें। उक्त आदेश से पाबंद होने के बाद एवं उक्त आदेश की जानकारी गैरसायलान को हो जाने के बाद भी गैरसायलान द्वारा जानबूझकर न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 28.06.2019 को गैरसायलान द्वारा प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 5393, 5394 में पूर्व से खोदे गये 25 बाई 60 फुट के गढढे में आरसीसी के पिलर गाडने हेतु गढ्ढे खोदने के लिए मजदूरों के साथ आये और मौके पर खुदाई का कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही प्रार्थी को जानकारी मिली, तो प्रार्थी अपने पुत्र कुलदीप के साथ अपनी आराजी पर गया और वहां मजदूरों से काम को रोकने के लिए कहा और उनसे कहा कि इस जमीन पर स्टे है, तुम यहां काम मत करो, तो मौजूद मजदूरों ने कहा कि हमे तो कुछ नही पता हमे तो वकील साहब नितिन शर्मा ने काम करने के लिए रखा है, आपको कोई बात करनी हे तो उनसे बात करो, तो प्रार्थी के पुत्र ने कचहरी जाकर गैरसायल नितिन शर्मा से बात करनी चाही तो उन्होने बडी बेरूखी से कहा कि ऐसे स्टे तो हम रोज करवाते है और हटवाते भी है, तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मै तो निर्माण कराऊंगा ही, प्रार्थी के पुत्र ने जब यह कहा कि आप लोग स्टे से पाबंद हो तो काम कराकर क्यो बेजा मुकदमेबाजी बढा रहे हो, तो गैरसायल एकदम नाराज हो गया और धमकी दी कि तुमसे जो बने वो करो, कोई हमारा कुछ नही कर सकता, पुलिस और कोर्ट को मै सब देख लूंगा। दिनांक 23.04.19 को जारी संगिन आदेश आज भी प्रभावी है और प्रकरण के सभी पक्षकारान पर लागू है और जिसकी जानकारी भी सभी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पक्षकारान को है। गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है एवं उनके द्वारा जानबूझकर न्यायालय आदेश दिनांक 23.04.19 की अवहेलना की गई जो अनवरत चालू है और इस समय भी मौके पर दिनांक 28.06.19 को खोदे गए गढ्डो में आरसीसी के पिलर गाढने के लिए सरियों पर जाल लगाकर सीमेंट भराई का कार्य प्रार्थी की आराजी पर चालू है। दिनांक 30.06.19 को भी प्रार्थी द्वारा काम को रोकने की कोशिश की गई तो गैरसायलान झगडा करने पर आमादा हो गये। प्रमाण में मौके पर किये जा रहे निर्माण कार्य के फोटोग्राफ दर0 के साथ पेश है। जो गैरसायलान द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना के दोषी है और तीन माह के सिविल कारागार से सजायाब किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी मौके की पूर्व स्थिति कायम कराने का अधिकारी है एवं गैरसायलान द्वारा प्रार्थी की आराजी को पहुंचाए गए नुकसान की एवज में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकारी हैं। सिविल कारागार हेतु प्रार्थी खर्चा अदा करने को तैयार है। पक्षकारान एवं प्रकरण श्रीमानजी के अधिकारी क्षेत्र में होने के कारण श्रीमानजी को सुनवाई के पूर्ण अधिकारी हासिल हैं। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद उचित न्याय शुल्क........रू. पर पेश है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायल का बहस में कथन है कि प्रार्थी को खरीदशुदा भूखण्ड खसरा नंबर 5393, 5394 में स्थित नही है क्यों कि दावा में प्रार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत जवाबदावा में सायल द्वारा अपनी भूमि खसरा नंबर 5393, 5394 की एस0डी0ओ0 साहब व तहसीलदार करौली के आदेश से पुलिस सहायता के जरिये पक्की बाउण्ड्री दीवाल करीब 10–12 पूर्व करवाई जा चुकी है। उससे संबंधित दस्तावेज व सेटिलमेंट टीम की संयुक्त सर्वे सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का भूखण्ड अपनी खरीद भूमि खसरा नंबर 5395 लगायत 5397 में स्थित होना साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा कोई न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया जाना असंभव व गलत है। इस आधार पर बगैर दस्तावेजी आधार पर दर0 ब्रीच खारिज होने योग्य है। प्रार्थी विपक्षी द्वारा सायल की भूमि को कोई नुकसान पहुंचाये जाना गलत है स्वीकार नही है क्योंकि प्रार्थी विपक्षी का भूखण्ड मुताबिक सीमांकन संयुक्त सर्वे टीम द्वारा खसरा नंबर 5393 व 5394 मे होना नही पाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

इसलिए प्रार्थी कोई कानून की अवहेलना नही की गई है और ना ही साबित है ना हल सायल को कोई क्षति हुई है। जबकि सही बात यह है कि सायल बार–बार सीमा विवाद पैदा करने का आदी है और प्रार्थी विपक्षी को अकारण परेशान करने पर आमादा है। इस मद में दर्ज दिनांकों पर प्रार्थी–विपक्षी द्वारा कोई भी निर्माण नही किया है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। सायलान द्वारा न्यायालय स्टे दिनांक 23.04.2019 के उपरांत खसरा नंबर 5393 व 5394 कस्बा करौली में गैरसायलान द्वारा निर्माण करना अंकित किया है। जबकि गैरसायलान द्वारा अपना निर्माण खसरा नंबर 5395 लगायत 5397 में होना बताया है। सायल ने ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है जिससे स्टे दिनांक 23.04.2019 की अवेहलन गैरसायलान द्वारा किया जाना साबित नहीं होता है। सायल के दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र सायल चलने योग्य नहीं है। सायल अपने प्रार्थना–पत्र को साबित करने में असफल रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र सायल विरुद्व गैरसायल खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/4/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली